प्रेस नोट दिनांक 17.05.2026

थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

थाना शेरगढ़ #bareillypolice द्वारा थाना शेरगढ़ क्षेत्रांतर्गत तेजाब डालकर परिवार को झुलसाने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 01 अवैध तमंचा व 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.05.26 को वादिनी द्वारा थाना शेरगढ़ पर तहरीरी सूचना दी गई कि उमेश कश्यप पुत्र रामपाल नि0 वार्ड नं0 09 मोहल्ला डुंगरपुर थाना शेरगढ़, बरेली द्वारा छत के रास्ते घर में घुसकर वादिनी, उसके पति एवं दोनों पुत्रों पर तेजाब डालकर झुलसा दिया गया। उक्त संबंध में थाना शेरगढ़ पर FIR-112/26 U/S 124/333 BNS पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 17.05.2026 को समय करीब 03.50 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना शेरगढ़ के नेतृत्व में दिनांक 17.05.2026 को थाना शेरगढ़ पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त उमेश कश्यप पुत्र रामपाल पुलिस से बचने के उद्देश्य से कस्बा शेरगढ़ बाईपास मार्ग से अपने घर की ओर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त उमेश कश्यप पुत्र रामपाल (उम्र करीब 35 वर्ष) पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से एक अवैध तमंचा .315 बोर, 03 जिंदा कारतूस एवं 02 खोखा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान हे0का0 मो0 नाजिम के बाएं हाथ में गोली रगड़कर निकल जाने से वह भी घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। बरामदगी के आधार पर थाना शेरगढ़े, बरेली मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 बनाम उमेश कश्यप पुत्र रामपाल निवासी मौहल्ला डूंगरपुर कस्बा व थाना शेरगढ़ जनपद बरेली पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15.05.2026 को शाम करीब 08 बजे महिला से उसकी कहासुनी हुई थी। अभियुक्त ने बताया कि उसके घर पर शौचालय साफ करने के लिए रखा तेजाब मौजूद था, जिसे लेकर वह दिनांक 16.05.2026 की सुबह करीब 04 बजे छतों के रास्ते महिला के घर पहुंचा तथा जीने से नीचे उतरकर सोते समय उसके ऊपर तेजाब डालकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस के डर से वह जंगल में छिपा रहा। अभियुक्त ने यह भी बताया कि आज जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो स्वयं को घिरता देख उसने बचाव के उद्देश्य से पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. उमेश कश्यप पुत्र रामपाल निवासी मौहल्ला डूंगरपुर कस्बा व थाना शेरगढ़ जनपद बरेली उम्र करीब 35 वर्ष

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

1. मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना शेरगढ़ जनपद बरेली

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 23/2020 धारा 323/324/427/504 भादवि थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
2. मु0अ0सं0 112/2026 धारा 124/331(6) बीएनएस थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
3. मु0अ0सं0 113/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

<u>बरामदगीः-</u>

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर
- 03 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 02 खोखा कारतूस .315 बोर

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
2. व0उ0नि0 श्री आदित्य गौरव श्रीवास्तव, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री शिव सागर, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री ओगेन्द्र कुमार, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।
5. हे0कां0 348 मो0 नाजिम, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।**(घायल)**
6. हे0कां0 1017 अरूण कुमार, थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।